वित्तीय समावेशन जागरूकता श्रृंखला अंक-1 दिनांक 4 सितंबर, 2014
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) - अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न
प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता कौन खोल सकता है ?
भारत का हर नागरिक जिसका किसी बैंक में बचत खाता नहीं है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोल सकता है।
मैंने पहले से बचत खाता खोला हुआ है। क्या मुझे रु. 1 लाख का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा या मुझे नया खाता खोलना होगा?
1 लाख रु. का दुर्घटना बीमा रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड तथा रूपे किसान क्रेडिट कार्ड का अभिन्न अंग है। यदि किसी ग्राहक ने पहले से खाता खोला हुआ है तो उसे रुपे कार्ड जारी किया जा सकता है ताकि दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सके।
यदि किसी ग्राहक के पास पहले से बीमा कार्ड है तो क्या उस ग्राहक को दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रुपे कार्ड जारी किया जा सकता है।
रुपे कार्ड जारी करने के लिए पहले से जारी बीमा कार्ड को वापस करना होगा।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बचत खाता खोलने के लिए केवायसी के मानदण्ड क्या हैं ?
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने हेतु केवायसी के लिए दस्तावेज की अपेक्षाएं वही हैं जो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत खाता खोलने के लिए भारिबैंक/बैंक के दिशानिर्देशों में बताई गई हैं। भा रि बैंक ने दिनांक 26.5.2014 की प्रेस विज्ञप्ति में सरलीकृत केवायसी मानदण्डों को स्पष्ट किया है। भा रि बैंक के अनुसार पहचान तथा पते के प्रमाण के लिए एक ही दस्तावेज काफी है यदि अधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज(ओवीडी) पर दोनों का उल्लेख हो।

केवायसी के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज क्या हैं ?
इसमें निम्नलिखित शामिल हैं - पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड तथा नरेगा द्वारा जारी एवं राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाब कार्ड।
यदि वर्तमान पते का प्रमाण नहीं है तो क्या करना होगा ?
बाहर से आने वाले कामगारों के मामले में यह एक बड़ी चुनौती तब सामने आती है जब ग्राहक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान पता पते के प्रमाण पर अंकित पते से भिन्न होता है। ऐसे मामले में उसके द्वारा उसके पते के बारे में की गयी घोषणा पर्याप्त रहेगी।
यदि किसी व्यक्ति के पास आधिकारिक रूप से वैध कोई भी दस्तावेज नहीं है तो क्या किया जाए ।
ऐसे ग्राहकों के मामले में स्वयं सत्यापित फोटोग्राफ और बैंक अधिकारी की मौजूदगी में उसके हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप के आधार पर छोटा खाता खोला जा सकता है। छोटे खातों में कुल ऋण (एक वर्ष में रु. 1 लाख से अधिक नहीं) कुल आहरण (एक माह में रु. 10,000 हजार से अधिक नहीं) तथा खाते में शेष (किसी भी समय रु. 50,000 से अधिक नहीं) से संबंधित सीमाएँ होती हैं। ये छोटे खाते 12 माह तक वैध रहेंगे। उसके बाद और 12 माह तक की अवधि के लिए ऐसे खातों को जारी रखा जा सकेगा यदि खातेदार छोटे खाते के खोले जाने के 12 माह की अवधि के भीतर ऐसा दस्तावेज प्रदान कर दे जो दर्शाता हो कि उसने कार्यालयीन रूप से वैध किसी एक दस्तावेज के लिए आवेदन किया हुआ है।
रु. 5000 का ओवरड्राफ्ट कैसे प्राप्त किया जाए ?
6 से 12 माह के संतोषजनक खाता परिचालन के बाद शाखा प्रबंधक द्वारा प्रति परिवार रु. 5000 का ओवरड्राफ्ट परिवार की मुखिया महिला के बचत खाते में स्वीकृत किया जा सकता है। प्रति परिवार केवल एक ओडी खाता स्वीकृत किया जाएगा। प्रति परिवार मुखिया महिला के खाते को अंकित करने के लिए यह बात महत्वपूर्ण है कि परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जाए और आईआरपीएस में सर्वेक्षण का विवरण डाल दिया जाए।

ग्राहक कहां पर बैंकिंग सुविधा प्राप्त कर सकते हैं ?

हमारे ग्राहक द्वारा निम्नांकित में से किसी भी एक माध्यम द्वारा बैंकिंग सुविधा प्राप्त की जा सकती है :

- शाखा - इस प्रयोजन के लिए शाखा को फोटोग्राफ सहित ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान को स्कैन करके साइनकैप मेनू के माध्यम से सीबीएस में अपलोड करना होगा।
- बैंक मित्र(व्यवसाय प्रतिनिधि- बीसी एजेंट) - इस प्रयोजन के लिए बीसी एजेंट द्वारा ग्राहक की अंगुलियों के निशान लिए जाएंगे। एसबी 700 के अलावा अन्य योजनाओं के अंतर्गत खोले गए खातों को एसबी 700 श्रेणी में परिवर्तित करना होगा।
- एटीएम - रुपे कार्ड के माध्यम से
- मोबाईल बैंकिंग - हमारे बैंक के मोबाईल बैंकिंग एप्लिकेशन या यूएसएसडी (इस विषय पर अन्य जानकारी देखें) के उपयोग से।

हमारे बैंक की एसबी 700 और एसबी 701 योजनाओं में क्या अंतर है ?

एसबी 700 और एसबी 701 दोनों ही योजनाएं मूल बचत बैंक जमा खाते के लिए बनायी गयी हैं तथा इन खातों के आंतरिक विशेषताएं एकसमान हैं, अंतर केवल अंगुलियों के निशान लेने को लेकर है। जिन खातों के मामले में, सिस्टम में अंगुलियों के निशान नहीं लिए गए हों उन्हें एसबी 701 के तहत खोला जाएगा। जबकि बीसी एजेंटों द्वारा अंगुलियों के निशान लेने पर खोले जानेवाले खाते एसबी 700 योजना के अंतर्गत खोले जाएंगे।

जो खाते शाखाओं द्वारा एसबी 700 योजना के अलावा अन्य योजनाओं के तहत खोले गए हों उनको एसबी 700 के अंतर्गत परिवर्तित करने के बाद बीसी एजेंट ऐसे खातों के लिए अंगुलियों के निशान ले सकते हैं। ऐसे परिवर्तन का अनुरोध अंचल कार्यालय को किया जाए, जो पुन: उसे अपनी ओर से वित्तीय समावेशन विभाग, प्रधान कार्यालय को संस्तुत करेगा।